

फंद अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

जिला कलेक्टर

मुकाम

रोहता

हीरा मेडिकल एजेंसी

बनाम

सदस्य सचिव, मेडिकल डिपार्टमेंट कोलायटी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकित्सालय टोंक

क्रिम मुकदमा

अपील R.T.P.

नं.

79

तारीख

2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23/10/19	<p>अभिभाषक अपीलान्त उपस्थित हैं। अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अध्याय 3 के नियम 38 (1) में दिये गये निर्देशों में प्रथम अपील दायर करने की अवधि 10 दिवस निर्धारित की गई है। कार्यालय सदस्य सचिव मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकित्सालय टोंक द्वारा विभिन्न प्रकार की लेबोरेट्री रियजेन्ट्स एवं एक्सरे फिल्म आपूर्ति हेतु की गई निविदा में तकनीकी निविदा दिनांक 3-9-2019 को खोली गई किन्तु अपीलान्त द्वारा अपील दिनांक 21-10-2019 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर है। साथ ही अपीलान्त द्वारा राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अध्याय 7 के नियम 84 के अनुसार प्रथम अपील प्रस्तुत करते समय निर्धारित शुल्क 2500/अक्षरे दो हजार पचास रुपये का डी0डी/ बैंकर चेक संलग्न नहीं किया गया है। अतः अपील विचारणीय नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">जिला कलेक्टर टोंक</p>	

